RC400787265IN IVR:8267400787265
RL SOUTH EASTERN COALS LIMITED <495006>
Counter No:1,07/05/2025,15:15
To:SRIMAN C M CG GOV,,
PIN:492001, Raipur HO
From:ILAHI MOHD,,
Wt:10gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868><Wear mask -Stay safe>

प्रति

मानननीय मुख्यमंत्री महोदय जी

छत्तीसगढ़ सरकार नया रायपुर

D.K.S Bhawan, Mantralaya Raipur 495001

अन्याय के विरुद्ध एक महिला की न्याय की गुहार: जनपद CEO पर जातिगत अपमान व शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप

कोटमी सुनार (जनपद अकलतरा), जांजगीर-चांपा।मैं, श्रीमती रामीन नेताम, पति श्री बलराम सिंह नेताम, निवासी ग्राम कोटमी सुनार, जनपद अकलतरा, यह आवेदन समाज और शासन दोनों को यह बताने हेतु लिख रही हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वह सिर्फ मेरे नहीं बल्कि समूचे आदिवासी समाज के सम्मान पर हमला है।जनपद पंचायत अकलतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) द्वारा मेरे साथ न केवल जातिगत गालियाँ दी गईं, बल्कि मेरे हाथ पकड़कर मुझे खींचा गया। यह घटना मेरे आत्मसम्मान और संवैधानिक अधिकारों का घोर अपमान है।मैंने दिनांक।7/3/25 को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जांजगीर एवं आजाक थाना जांजगीर में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था। किंतु आज दिनांक तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है। मुझे केवल जांच और बयान के नाम पर गुमराह किया जा रहा है।जब दूसरे मामलों में तुरंत FIR दर्ज होती है, तब मेरे साथ हो रहा यह भेदभाव न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। आरोपित उच्च पद पर आसीन हैं और उनका प्रभाव इस प्रकार की निष्क्रियता का कारण प्रतीत होता है।न्याय की आशा में, मैंने पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन किया, परन्तु अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे आहत होकर, अब मैंने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाने का निर्णय लिया है। दिनांक 7/4/25 को मैंने आजाक थाना में RTI (सूचना का अधिकार) के तहत आवेदन देकर श्री हिमांशु गुप्ता द्वारा दिए गए संभावित बयान एवं अब तक

की गई कार्रवाई की सत्य प्रतिलिपि की मांग की है, जिससे मैं ST कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकूं।मुझे पूर्ण विश्वास है कि सत्य की विजय होगी और दोषियों को उचित दंड मिलेगा। मेरा यह संघर्ष न केवल मेरे लिए, बल्कि हर उस महिला और समाज के व्यक्ति के लिए है जो अन्याय और शोषण सीकरकाशिकार हैं।"न्याय देर से मिले, लेकिन अंधा न हो।"

रामीन -

रामीन बाई नेताम

निवासी: कोटमी सुनार, जिला:

जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)